होमगार्ड्स विभाग का नागरिक चार्टर

1– विभागीय संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वरूप में वर्ष 1963 से गठित है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार संगठन के अवैतनिक पदों पर किसी भी सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्था में सेवारत व्यक्ति अपने नियोजक की अनुमति प्राप्त करके एवं स्व–व्यवसायरत व्यक्ति इस संगठन में स्वेच्छा से नियुक्त हो सकता है। इस विभाग में अधिकांश सदस्य ग्रामीण अंचलो से आते हैं। प्रत्येक वर्ग एवं सप्रंदाय के नागरिक इस संगठन में सक्रिय रूप से कार्यरत है। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में 13 जनपदों में होमगार्ड्स संगठन की कार्यात्मक इकाईयां स्थापित है। होमगार्ड्स विभाग का संगठनात्मक ढांचा चतुर्स्तरीय है। मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष, मण्डलीय स्तर पर 02 मण्डलों में मण्डलीय कमाण्डेन्ट, समूह–'क' संवर्ग एवं जिला स्तर पर जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स शीर्षस्थ प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त हैं। होमगार्ड्स विभाग में अवैतनिक सदस्य भी कार्यरत हैं, जो कम्पनी की इकाई के रूप में जनपदों में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान जिसमें डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल स्तर के अधिकारी व मण्डल स्तर पर जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र समूह–'ख' संवर्ग के अधिकारी तैनात हैं।

विभागीय संगठनात्मक ढांचे का संक्षिप्त स्वरूप निम्नवत् है:–

केन्द्रीय स्तर

भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन होमगार्ड्स विभाग का संचालन डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेन्स द्वारा किया जाता जिनकी सहायतार्थ डिप्टी डायरेक्टर जनरल, होमगार्ड्स, सीनियर स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स, जूनियर स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स के साथ–साथ केन्द्रीय सचिवालय का स्टाफ भी नियुक्त है।

राज्य स्तर

उत्तराखण्ड में शासन स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी, होमगार्ड्स के अधीन प्रमुख सचिव (गृह) विभाग द्वारा होमगार्ड्स का संचालन किया जाता है। इनकी सहायता के लिये सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव, एवं अनुसचिव के स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं। सचिवालय स्तर पर गृह अनुभाग में अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, द्वारा होमगार्ड्स विभाग का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

मुख्यालय स्तर

विभाग के अध्यक्ष कमाण्डेन्ट जनरल, (वरिष्ठ आई0पी0एस0 संवर्ग) होमगार्ड्स होते हैं, जिनका कार्यालय तपोवन रोड़ नालापानी ननूरखेड़ा रायपुर देहरादून पर स्थित है। मुख्यालय पर उनकी सहायतार्थ डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल स्तर के दो अधिकारी, के पद स्वीकृत हैं, दोनों पद रिक्त होने के फलस्वरूप उनके दायित्वों/कार्यों को दो वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रभारी डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल) द्वारा निर्वहन किया जा रहा है साथ ही दो सहायक उपमहासमादेष्टा तथा एक स्टाफ अधिकारी भी नियुक्त है, जो होमगार्ड्स सेवा समूह–'क' संवर्ग के अधिकारी है। इसके साथ–साथ उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा समूह –'क' संवर्ग के वरिष्ठ वित्त अधिकारी के द्वारा लेखा सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है। तथा दो समूह–'ख' के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (मिनिस्ट्रीयल संवर्ग) कार्यरत है। इन पदों के अतिरिक्त कमाण्डेन्ट जनरल के अधीनस्थ स्टाफ के पद स्वीकृत हैं।

मण्डल स्तर

मण्डल स्तर पर मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स सेवा समूह—'क' संवर्ग के पद स्वीकृत हैं, जो अधीनस्थ जिला के होमगार्ड्स पर्यवेक्षणीय कार्यों का संचालन सुनिश्चित करते हैं व कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स के प्रति पूर्णतयः उत्तरदायी होते हैं।

जिला स्तर

प्रदेश के 13 जिलों में जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स का पद होमगार्ड्स सेवा समूह—'ख' संवर्ग से स्वीकृत है। इस पर पर कार्यरत अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर होमगार्ड्स विभाग का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। जनपद स्तर पर जिला कमाण्डेन्ट की सहायतार्थ वैतनिक कम्पनी कमाण्डर, वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, ब्लॉक आर्गनाइजर, हवलदार प्रशिक्षक तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अन्य कार्मिक नियुक्त हैं।

कम्पनी स्तर

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की एक कम्पनी की जनशक्ति 103 है। सम्पूर्ण प्रदेश में ग्रामीण व नगर की 27 कम्पनी व 191 प्लाटून विद्यमान है। प्रत्येक कम्पनी में 01 अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, 01 अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं 03 अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर, 03 प्लाटून सार्जेन्ट, 09 सेक्शन लीडर, 01 क्वार्टर मास्टर, 01 कम्पनी सार्जेन्ट तथा 84 होमगार्ड्स स्वयंसेवक होते हैं। इन अवैतनिक अधिकारियों में अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर को रू0 1500—00 अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर को रू0 1200—00 व अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर को रू0 1000—00 मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। ड्यूटी पर बुलाये जाने की स्थिति में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को रू0 400—00 प्रतिदिन प्रति होमगार्ड्स की दर से ड्यूटी भत्ता का भुगतान किया जाता है।

प्रशिक्षण शाखा

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

राज्य स्तर पर वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों/वैतनिक/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रायपुर रोड़ थानों देहरादून पर होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग संयुक्त रूप से केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है, जिसका संचालन होमगार्ड्स सेवा समूह—'क' के अधिकारी कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। जो वर्तमान में रिक्त है, उक्त पद के दायित्वों एवं कार्यों का निर्वहन प्रभारी कमाण्डेन्ट (सहायक उपमहासमादेष्टा समूह—'क') के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है, इनके अधीन वैतनिक कम्पनी कमाण्डर, वैतनिक प्लाटून कमाण्डर व जूनियर इन्स्ट्रक्टर डिमान्स्ट्रेटर व अन्य अराजपत्रित कार्मिकों के पद स्वीकृत है। प्रशिक्षण केन्द्र पर अवैतनिक प्लाटून कमाण्डरों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और आवश्यकतानुसार नेतृत्व प्रशिक्षण एवं अग्रिम शस्त्र प्रशिक्षण का भी समय—समय पर आयोजन सुनिश्चित होता हैं।

जिला प्रशिक्षण केन्द्र

प्रदेश के 02 मण्डलों में जहाँ होमगार्ड्स संगठन स्वीकृत हैं, वहाँ 02 जिला प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः श्रीनगर गढ़वाल व हल्द्वानी में स्थापित हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित करने हेतु कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स सेवा समूह—''ख'' संवर्ग का पद स्वीकृत है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र के सहायतार्थ वैतनिक कम्पनी कमाण्डर, वैतनिक प्लाटून कमाण्डर एवं हवलदार प्रशिक्षक के साथ—साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक नियुक्त हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों पर अवैतनिक प्लाटून कमाण्डरों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और आवश्यकतानुसार पड़ने पर नेतृत्व प्रशिक्षण एवं अग्रिम शस्त्र प्रशिक्षण का भी समय—समय पर आयोजन सुनिश्चित होता हैं।

प्रशिक्षण अवधि में अवैतनिक सदस्यों को निःशुल्क आवास एवं भोजन तथा जेब खर्च हेतु धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान है। प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ग्रामीण एवं नगरीय होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दो माह में 01 बार रिफ्रेशर परेड में भाग लेना आवश्यक होता है। रिफ्रेशर परेड़ में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है।

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के कर्तव्य

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स अधिनियम—1963 के अन्तर्गत होमगार्ड्स के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किये गये है :—

1— पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था व आन्तिरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगें।

2— हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपदाओं के समय लोक समाज की सहायता करना।

3— ऐसे विशिष्टि कार्यों के लिये जो नियत किये जायें, आपातकालीन बल के रूप में कार्य करना।

4— लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्व ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो नियत किये जायें।

2— विभागीय कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मानक

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम—1963 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निम्न मानकों के अन्तर्गत कार्य किया जाता है:—

1— होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती के लक्ष्यों की पूर्ति।

2— भर्ती किये गये होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना।

3— शान्ति एवं सुरक्षा, निर्वाचन एवं अन्य अवसरों पर निर्धारित संख्या में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी हेतु संचारित करना।

3— विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के लिये प्रयोग किये गये नियमः—

उत्तरदायित्व निर्वहन के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय—समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों, होमगार्ड्स अधिनियम, नियम, विनियम नियमावलियाँ एवं होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत निर्देशों, परिपत्रों एवं आदेशों का प्रयोग किया जाता है।

4— विभाग द्वारा धारित एवं नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियाँ

होमगार्ड्स संगठन में निम्नलिखित अभिलेखों के नियन्त्रणाधीन कार्य सम्पादित किया जाता है।

1— उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम—1963

2— भारत सरकार द्वारा जारी कम्पेडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन।

3— उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली—2016 (राजपत्रित पदों हेतु)।

4— उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली—2010 (समूह—'ग')।

5— उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली—2016 (समूह—'ख' एवं 'ग')।

6— उत्तराखण्ड होमगार्ड्स कल्याण कोष नियमावली—2017

7— मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आडर्स (एम0जी0ओ0)।
8— विभिन्न वित्तीय हस्त पुस्तिकायें।
9— शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों, निर्देशों / विभिन्न नियमावलियों।

5— अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मासिक परिलब्धियों का विवरण।

होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान एवं समय–समय पर प्रदत्त किये जाने वाले भत्ते आदि अनुमन्य किये जाते हैं। अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर / अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर अवैतकनिक प्लाटून कमाण्डर को क्रमशः रू0–1500 / –, रू0 1200 / – एवं रू01000 / – प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाता है। ड्यूटी पर बुलाये जाने पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को रू0 400 / – प्रतिदिन प्रति होमगार्ड्स की दर से भुगतान किया जाता है।

6— जन सूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम एवं अन्य विवरण

(1) होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तराखण्ड देहरादून में जन सूचना अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह, बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी श्री राजीव बलोनी वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हैं, जिनके मोबाइल नं0–निम्नवत् हैः–

1— लोक सूचना अधिकारी — 9456363472
2— विभागीय अपीलीय अधिकारी — 9411111994

(अशोक कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून।

A_Current\sashan 2017